



ज्ञान शांति मैत्री



आजादी का
अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-251661
मोबाइल / Mobile : +91-9422905760

क्रमांक : 34/2021-22/वाहन प्रवेश पास/346
दिनांक : 10.07.2023

परिपत्र

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वर्धा द्वारा अवगत कराया गया है कि Motor Vehicle Act 1988 के नियम 128 के अनुसार दो पहिया मोटर साइकिल चालक और उनके साथ के सवार को बिना हेलमेट के दुपहिया मोटर वाहन न चलाने एवं Motor Vehicle Act 1988 के नियम 129 के अनुसार मोटर साइकिल वाहन चलाते समय चालक व पीछे बैठने वाले को हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

Motor Vehicle Act 1988 के नियम 194 (C) के अनुसार मोटर साइकिल चलाते समय बिना हेलमेट चालक व पीछे बैठने वाला व्यक्ति दिखने पर उनको रु. 1000/- (रूपया एक हजार मात्र) का जुर्माना और 03 माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

आप सभी विद्यार्थियों/अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से निवेदन है कि उक्त को दृष्टिगत करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

कादर नवाज
(कुलसचिव)
10/07/23

संलग्नक-परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी परिपत्र
प्रतिलिपि:

1. माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ ।
2. वित्ताधिकारी
3. समस्त अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. लीला प्रभारी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
7. कुलसचिव कार्यालय
8. संबंधित फाइल

10/07/23